प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल

"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011

क्रमांक/व्यापम/प–1/5/35/7448/2016 भोपाल, दिनांक 30/11/2016

//आदेश//

मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय के अंतर्गत कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तथा नियंत्रक नापतौल मध्यप्रदेश के अंतर्गत निरीक्षक नापतौल के पदों पर भर्ती हेतु पीईबी द्वारा विभाग के अनुरोध पर परीक्षा दिनांक 07.10.2012 को आयोजित की गई थी। जिसका परीक्षा परिणाम पीईबी द्वारा दिनांक 18.10.2012 को घोषित किया गया था। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तथा निरीक्षक नापतौल भर्ती पर परीक्षा 2012 में अनियमितता ज्ञात होने पर थाना स्पेशल टास्क फोर्स, भोपाल में अपराध प्रकरण क्रमांक 15/13 पंजीबद्ध किया गया हैं।

कार्यालय सहायक पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश एसटीएफ, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक – समनि/एसटीएफ/मुख्यालय/एचक्यू–789/2014 दिनांक 09/06/2014 जो पीईबी को दिनांक 09/06/2014 को प्राप्त हुआ, के माध्यम से अवगत कराया गया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तथा निरीक्षक नापतौल भर्ती परीक्षा – 2012 में सम्मिलित 16 अभ्यर्थियों की पीईबी से जप्त ओएमआर उत्तरशीट की क्यूडी (राज्य परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख) से जांच कराये जाने पर ओएमआर उत्तरशीटस् में अलग–अलग स्याही से गोले भरे जाने संबंधी जानकारी प्राप्त हुई है। सहायक पुलिस महानिरीक्षक म.प्र. एसटीएफ, भोपाल के पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर पीईबी के आदेश क्रमांक व्यापम/5–प–1/35/3786/2014 भोपाल दिनांक 13.06.2014 के द्वारा 16 अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त किये गये थे।

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा याचिका क्रमांक 9690/2014 एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.09.2014 द्वारा पीईबी के उपरोक्त आदेश दिनांक 13.06.2014 को खारिज कर दिये जाने के परिप्रेक्ष्य में संबंधित अभ्यर्थियों की फॉरेंसिक रिपोर्ट, एफआईआर तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु पीईबी द्वारा श्री सुधीर शाही, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसटीएफ, भोपाल को पत्र क्रमांक व्यापम/5–प–135/3786/2014 भोपाल दिनांक 13.06.2014 प्रेषित किया गया। कार्यालय सहायक पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश एसटीएफ, भोपाल के पत्र क्रमांक/समनि/रीडर/एसटीएफ/भोपाल/779/2014 दिनांक 10.10.2014 के द्वारा ओएमआर उत्तरशीट के इंक मिसमैच एवं स्केनिंग के दौरान स्कैन डाटा में छेड़छाड़/हेराफेरी पाये जाने वाले 18 अभ्यर्थियों (पूर्व के 16 अभ्यर्थियों के साथ अन्य 02 अभ्यर्थियों को समाहित करते हुये) के विरूद्ध उनके कृत्य, साक्ष्य एवं दस्तावेजों की विवरण सूची पीईबी को उपलब्ध कराई गई।

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्र. 1507/15 (S) एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07/12/2015 के परिपालन में पीईबी द्वारा पत्र क्र. पत्र क्रमांक व्यापम/5–प–1/35/6061/2014 दिनांक 21.10.2014 द्वारा नियंत्रक, संयुक्त नियंत्रक (कम्प्यूटर) तथा संयुक्त नियंत्रक (परीक्षा) की त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया। प्रकरण के पुनः परीक्षण के प्रकाश/तारतम्य में 18 अभ्यर्थियों को कारण बताओ सूचना पत्र समस्त संलग्नों सहित (दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए) दिनांक 15/09/2016 को जारी किये गये तथा अभ्यर्थियों को अपना लिखित एवं मौखिक पक्ष समिति के समक्ष दिनांक 06/10/2016 को रखने का अवसर दिया गया। उक्त आशय की आम सूचना दैनिक समाचार पत्रों (दैनिक भास्कर के भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर संस्करण तथा दैनिक जागरण रीवा संस्करण, दिनांक 04.10.2016) एवं पीईबी की वेबसाइट पर भी दी गई।

दिनांक 06/10/2016 को समिति के समक्ष 17 अभ्यर्थी उपस्थित हुए जिनके द्वारा समिति के समक्ष अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्यवाही की विडियोरिकॉर्डिंग भी कराई गई। समिति द्वारा भिन्न–भिन्न तिथियों में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी 18 अभ्यर्थियों के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजों एवं अभ्यर्थियों को भेजे गये कारण बताओं नोटिस के उत्तरों का समग्र, सूक्ष्म एवं गहन परीक्षण किया गया, जिसका अभ्यर्थीवार विवरण निम्नानुसार है – 2.....

(1) अनु. क्रमांक 707032 नरेश चन्द्र सगर पिता श्री मोतीराम सगर – अनुसूचित जाति/बिना वर्ग

1. इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 15/13 दिनांक 22.11.2013 में आरोपियों की सूची में क्रमांक 24 पर उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 19.01.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा ओ.पी. शुक्ला (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से पीईबी के अधिकारियों व कर्मचारियो से सेटिंग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। पीईबी में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को **100–100 प्रश्नों वाली दो उत्तरशीट क्रमांक 585918 एवं 1404027** तथा प्रश्नपुस्तिका क्रमांक 401818 परीक्षा के दौरान जारी की गई है।

2. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन होता (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण मे इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा पीईबी को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है –

अभ्यर्थी को प्रदाय की गई 100 प्रश्नों की ओएमआर उत्तरशीट का विवरण	.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार मूलतः अंकित उत्तरों में अतिरिक्त गोले काले करके बढ़ाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	अनुसूचित जाति/बिना वर्ग/ओपन का कटऑफ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रथम उत्तरशीट क्रमांक 585918	72	100	28	28	139	133
द्वितीय उत्तरशीट क्रमांक 1404027	48	68	20	20		
योग	120	168	48	48		
	एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।		पीईबी द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।			

3. अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 120 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 120 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अथ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद पर अनुसूचित जाति/बिना वर्ग/ओपन के अंतर्गत मेरिट क्रमांक 04 में हुआ है, जिसमें कट ऑफ अंक 133 है। उक्त परिवर्तन के कारण चयनित हो गया है।

4. नरेश चन्द्र सगर पिता श्री मोतीराम सगर 06/10/2016 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये तथा अभ्यर्थी के द्वारा लिखित पक्ष समिति के समक्ष रखा गया। अभ्यर्थी के द्वारा हार्ड डिस्क से हुये रिट्रीव डेटा, स्कैन्ड ओएमआर शीट पहले, दूसरे स्कैनर से, 255 सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के .DAT, .DBF, के संबंध में जानकारी चाही गई । उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया की चूंकि अभ्यर्थी को उनसे संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा उनके द्वारा चाहे गये दस्तावेज/हार्डडिस्क उनसे संबंधित नहीं है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए सुनवाई का अवसर दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। अतः अभ्यर्थी के विरूद्ध स्पष्ट समुचित साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्थी के अनुरोध को अमान्य किया गया।

3....

(2) अनु. क्रमांक 711230 सुनील कुमार साहू, पिता श्री वीरेन्द्र प्रसाद साहू–अन्य पिछड़ा वर्ग/बिना वर्ग

1. इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 15/13 दिनांक 22.11.2013 में आरोपियों की सूची में क्रमांक 25 पर उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 07.02.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा ओ.पी. शुक्ला (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से पीईबी के अधिकारियों व कर्मचारियो से सेटिंग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। पीईबी में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को **100–100 प्रश्नों वाली दो उत्तरशीट क्रमांक 590430 एवं 1408530** तथा प्रश्नपुस्तिका क्रमांक 202903 परीक्षा के दौरान जारी की गई है।

2. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन होता (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण मे इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा पीईबी को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है –

अभ्यर्थी को प्रदाय की गई 100 प्रश्नों की ओएमआर उत्तरशीट का विवरण	.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार मूलतः अंकित उत्तरों में अतिरिक्त गोले काले करके बढ़ाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	अनारक्षित/ बिना वर्ग /ओपन का कटऑफ	अन्य पिछड़ा वर्ग/ बिना वर्ग/ ओपन का कटऑफ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
प्रथम उत्तरशीट क्रमांक **590430**	04	81	77	69	152	159	154
द्वितीय उत्तरशीट क्रमांक **1408530**	00	86	86	77			
योग	04	167	163	146			
	एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।		पीईबी द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।				

3. अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 04 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 04 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अथ्यर्थी का चयन संभव नहीं था। अभ्यर्थी द्वारा 152 अंक प्राप्त करने के कारण इनको प्रतीक्षा सूची उच्च स्थान प्राप्त हुआ है अपितु कट ऑफ अंक इनके प्राप्तांकों से अधिक होने के कारण इन्हें मेरिट सूची में स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। अभ्यर्थी को निरीक्षक नापतौल के पद के लिये अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन में प्रतीक्षा सूची क्रमांक 20 एवं ओबीसी/बिना वर्ग/ओपन में प्रतीक्षा सूची क्रमांक 04 प्राप्त हुआ है।

4. सुनील कुमार साहू, पिता श्री वीरेन्द्र प्रसाद साहू 06/10/2016 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये तथा अभ्यर्थी के द्वारा लिखित पक्ष समिति के समक्ष रखा गया। अभ्यर्थी के द्वारा हार्ड डिस्क से हुये रिट्रीव डेटा, स्कैन्ड ओएमआर शीट पहले, दूसरे स्कैनर से, 255 सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के .DAT, .DBF, के संबंध में जानकारी चाही गई । उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया की चूंकि अभ्यर्थी को उनसे संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा उनके द्वारा चाहे गये दस्तावेज/हार्डडिस्क उनसे संबंधित नहीं है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए सुनवाई का अवसर दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। अतः अभ्यर्थी के विरूद्ध स्पष्ट समुचित साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्थी के अनुरोध को अमान्य किया गया।

4...

(3) अनु. क्रमांक 702296 भानू प्रताप सिंह पिता स्व. श्री इन्द्रपाल सिंह भदौरिया–अनारक्षित/बिना वर्ग

1. इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 15/13 दिनांक 22.11.2013 में आरोपियों की सूची में क्रमांक 21 पर उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 21.02.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा भरत मिश्रा (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से पीईबी के अधिकारियों व कर्मचारियो से सेटिंग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। पीईबी में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को **100–100 प्रश्नों वाली दो उत्तरशीट क्रमांक 580635 एवं 1398179 तथा प्रश्नपुस्तिका क्रमांक 200604** परीक्षा के दौरान जारी की गई है।

2. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन होता (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण मे इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा पीईबी को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है –

अभ्यर्थी को प्रदाय की गई 100 प्रश्नों की ओएमआर उत्तरशीट का विवरण	.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार मूलतः अंकित उत्तरों में अतिरिक्त गोले काले करके बढ़ाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन का कटऑफ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रथम उत्तरशीट क्रमांक 580635	22	80	58	55	153	146
द्वितीय उत्तरशीट क्रमांक 1398179	17	81	64	62		
योग	39	161	122	117		
	एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।		पीईबी द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।			

3. अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 39 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 39 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अथ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद पर अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन के अंतर्गत मेरिट क्रमांक 21 में हुआ है, जिसमें कट ऑफ अंक 146 है। उक्त परिवर्तन के कारण अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

4. भानू प्रताप सिंह पिता स्व. श्री इन्द्रपाल सिंह भदौरिया 06/10/2016 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये तथा उनके द्वारा जवाब देने हेतु अतिरिक्त समय की मांग की गई जिसके प्रकाश में समिति द्वारा पत्र क्रमांक 6305/16 दिनांक 06/10/2016 द्वारा उन्हें 13/10/2016 को पीईबी कार्यालय में समिति के समक्ष अपना पक्ष लिखित एवं मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का समय प्रदान किया गया। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 13/10/2016 को पुनः समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया तथा हार्ड डिस्क से रिट्रीव डेटा, स्कैन्ड ओएमआर शीट पहले, दूसरे स्कैनर से, 255 सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के .DAT, .DBF, क्यूडी रिपोर्ड तथा नियमपुस्तिका जिसमें .DAT, .DBF, फाइल में अन्तर पर यूएफएम प्रकरण के संबंध में जानकारी चाही गई उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया की चूंकि अभ्यर्थी को उनसे संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा उनके द्वारा चाहे गये दस्तावेज/हार्डडिस्क उनसे संबंधित नहीं

5....

है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए सुनवाई का अवसर दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। अतः अभ्यर्थी के विरूद्ध स्पष्ट समुचित साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्थी के अनुरोध को अमान्य किया गया।

(4) अनु. क्रमांक 702052 शिशुवेन्द्र सिंह पिता स्व. श्री हरेन्द्र सिंह तोमर – अनारक्षित/बिना वर्ग

1. इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 15/13 दिनांक 22.11.2013 में आरोपियों की सूची में क्रमांक 20 पर उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 21.02.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा भरत मिश्रा (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से पीईबी के अधिकारियों व कर्मचारियो से सेटिंग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। पीईबी में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को **100–100 प्रश्नों वाली दो उत्तरशीट क्रमांक 580393 एवं 1398299 तथा प्रश्नपुस्तिका क्रमांक 200533** परीक्षा के दौरान जारी की गई है।

2. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन होता (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण मे इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा पीईबी को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है –

अभ्यर्थी को प्रदाय की गई 100 प्रश्नों की ओएमआर उत्तरशीट का विवरण	.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार मूलतः अंकित उत्तरों में अतिरिक्त गोले काले करके बढ़ाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन का कटऑफ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रथम उत्तरशीट क्रमांक 580393	18	88	70	63	155	146
द्वितीय उत्तरशीट क्रमांक 1398299	20	81	61	58		
योग	38	169	131	121		
	एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।		पीईबी द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।			

3. अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 38 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 38 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अथ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद पर अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन के अंतर्गत मेरिट क्रमांक 14 में हुआ है, जिसमें कट ऑफ अंक 146 है। उक्त परिवर्तन के कारण अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

4. शिशुवेन्द्र सिंह पिता स्व. श्री हरेन्द्र सिंह तोमर 06/10/2016 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये तथा अभ्यर्थी के द्वारा लिखित पक्ष समिति के समक्ष रखा गया। अभ्यर्थी के द्वारा हार्ड डिस्क से हुये रिट्रीव डेटा, स्कैन्ड ओएमआर शीट पहले, दूसरे स्कैनर से, 255 सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के .DAT, .DBF, के संबंध में जानकारी

6....

चाही गई उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया की चूंकि अभ्यर्थी को उनसे संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा उनके द्वारा चाहे गये दस्तावेज/हार्डडिस्क उनसे संबंधित नहीं है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए सुनवाई का अवसर दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। अतः अभ्यर्थी के विरूद्ध स्पष्ट समुचित साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्थी के अनुरोध को अमान्य किया गया।

(5) अनु. क्रमांक 703947 उमेश प्रताप सिंह पिता श्री महेश प्रताप सिंह तोमर – अनारक्षित/बिना वर्ग

1. इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 15/13 दिनांक 22.11.2013 में आरोपियों की सूची में क्रमांक 27 पर उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 23.02.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा अभिषेक सिंह ठाकुर (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से पीईबी के अधिकारियों व कर्मचारियो से सेटिंग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। पीईबी में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को **100–100 प्रश्नों वाली दो उत्तरशीट क्रमांक 582497 एवं 1400504 तथा प्रश्नपुस्तिका क्रमांक 101035** परीक्षा के दौरान जारी की गई है।

2. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन होता (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण मे इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा पीईबी को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है –

अभ्यर्थी को प्रदाय की गई 100 प्रश्नों की ओएमआर उत्तरशीट का विवरण	.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार मूलतः अंकित उत्तरों में अतिरिक्त गोले काले करके बढ़ाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन का कटऑफ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रथम उत्तरशीट क्रमांक 582497	18	100	82	65	157	146
द्वितीय उत्तरशीट क्रमांक 1400504	09	76	67	67		
योग	27	176	149	132		
	एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।		पीईबी द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।			

3. अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 27 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 27 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अथ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद पर अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन के अंतर्गत मेरिट क्रमांक 09 में हुआ है, जिसमें कट ऑफ अंक 146 है। उक्त परिवर्तन के कारण अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

7....

4. उमेश प्रताप सिंह पिता श्री महेश प्रताप सिंह तोमर 06/10/2016 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये तथा अभ्यर्थी के द्वारा लिखित पक्ष समिति के समक्ष रखा गया। अभ्यर्थी के द्वारा हार्ड डिस्क से हुये रिट्रीव डेटा, स्कैन्ड ओएमआर शीट पहले, दूसरे स्कैनर से, 255 सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के .DAT, .DBF, के संबंध में जानकारी चाही गई । उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया की चूंकि अभ्यर्थी को उनसे संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा उनके द्वारा चाहे गये दस्तावेज/हार्डडिस्क उनसे संबंधित नहीं है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए सुनवाई का अवसर दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। अतः अभ्यर्थी के विरूद्ध स्पष्ट समुचित साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्थी के अनुरोध को अमान्य किया गया।

(6) अनु. क्रमांक 701477 शैलेष पटेल पिता श्री गेंदालाल पटेल– अन्य पिछड़ा वर्ग/बिना वर्ग

1. इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 15/13 दिनांक 22.11.2013 में आरोपियों की सूची में क्रमांक 14 पर उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 25.02.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा तरंग शर्मा (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से पीईबी के अधिकारियों व कर्मचारियो से सेटिंग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। पीईबी में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को **100–100 प्रश्नों वाली दो उत्तरशीट क्रमांक 579721 एवं 1397723 तथा प्रश्नपुस्तिका क्रमांक 300392** परीक्षा के दौरान जारी की गई है।

2. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन होता (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण मे इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा पीईबी को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है –

अभ्यर्थी को प्रदाय की गई 100 प्रश्नों की ओएमआर उत्तरशीट का विवरण	.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार मूलतः अंकित उत्तरों में अतिरिक्त गोले काले करके बढ़ाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन का कटऑफ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रथम उत्तरशीट क्रमांक 579721	21	79	58	54	152	146
द्वितीय उत्तरशीट क्रमांक 1397723	19	79	60	56		
योग	40	158	118	110		
	एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।		पीईबी द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।			

3. अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 40 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 40 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अथ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद पर अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन के अंतर्गत मेरिट क्रमांक 25 में हुआ है, जिसमें कट ऑफ अंक 146 है। उक्त परिवर्तन के कारण अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

4. शैलेष पटेल पिता श्री गेंदालाल पटेल 06/10/2016 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये तथा अभ्यर्थी के द्वारा लिखित पक्ष समिति के समक्ष रखा गया। अभ्यर्थी के द्वारा हार्ड डिस्क से हुये रिट्रीव डेटा,, स्कैन्ड ओएमआर शीट पहले, दूसरे स्कैनर से, 255 सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के .DAT, .DBF, के संबंध में जानकारी चाही गई । उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया की चूंकि अभ्यर्थी को उनसे संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा उनके द्वारा चाहे गये दस्तावेज/हार्डडिस्क उनसे संबंधित नहीं है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए सुनवाई का अवसर दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। अतः अभ्यर्थी के विरूद्ध स्पष्ट समुचित साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्थी के अनुरोध को अमान्य किया गया।

(7) अनु. क्रमांक 702735 मिहिर कुमार पिता श्री राम मोहन चौधरी – अनारक्षित/बिना वर्ग

1. इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 15/13 दिनांक 22.11.2013 में आरोपियों की सूची में क्रमांक 22 पर उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 25.02.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा लक्ष्मीकांत शर्मा (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से पीईबी के अधिकारियों व कर्मचारियो से सेटिंग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। पीईबी में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर **अभ्यर्थी को 100–100 प्रश्नों वाली दो उत्तरशीट क्रमांक 581138 एवं 1399134 तथा प्रश्नपुस्तिका क्रमांक 300719** परीक्षा के दौरान जारी की गई है।

2. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन होता (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण मे इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा पीईबी को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है –

अभ्यर्थी को प्रदाय की गई 100 प्रश्नों की ओएमआर उत्तरशीट का विवरण	.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार मूलतः अंकित उत्तरों में अतिरिक्त गोले काले करके बढ़ाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन का कटऑफ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रथम उत्तरशीट क्रमांक 581138	66	100	34	32	159	159
द्वितीय उत्तरशीट क्रमांक 1399134	42	94	52	50		
योग	108	194	86	82		
	एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।		पीईबी द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।			

3. अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 108 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 108 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अध्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन निरीक्षक नापतौल के पद पर अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन के अंतर्गत मेरिट क्रमांक 07 में हुआ है, जिसमें कट ऑफ अंक 159 है। उक्त परिवर्तन के कारण अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

4. मिहिर कुमार पिता श्री राम मोहन चौधरी 06/10/2016 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये तथा अभ्यर्थी के द्वारा लिखित पक्ष समिति के समक्ष रखा गया। अभ्यर्थी के द्वारा हार्ड डिस्क से हुये रिट्रीव डेटा,, स्कैन्ड ओएमआर शीट पहले, दूसरे स्कैनर से, 255 सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के .DAT, .DBF, के संबंध में जानकारी चाही गई उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया की चूंकि अभ्यर्थी को उनसे संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा उनके द्वारा चाहे गये दस्तावेज/हार्डडिस्क उनसे संबंधित नहीं है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए सुनवाई का अवसर दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। अतः अभ्यर्थी के विरूद्ध स्पष्ट समुचित साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्थी के अनुरोध को अमान्य किया गया।

(8) अनु. क्रमांक 705133 अवधेश भार्गव पिता श्री कृष्ण कुमार भार्गव – अनारक्षित/बिना वर्ग

1. इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 15/13 दिनांक 22.11.2013 में आरोपियों की सूची में क्रमांक 26 पर उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 01.03.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा लक्ष्मीकांत शर्मा (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से पीईबी के अधिकारियों व कर्मचारियो से सेटिंग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। पीईबी में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को **100–100 प्रश्नों वाली दो उत्तरशीट क्रमांक 583933 एवं 1402033 तथा प्रश्नपुस्तिका क्रमांक 301348 परीक्षा के दौरान जारी की गई** है।

2. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण मे इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा पीईबी को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है –

अभ्यर्थी को प्रदाय की गई 100 प्रश्नों की ओएमआर उत्तरशीट का विवरण	.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार मूलतः अंकित उत्तरों में अतिरिक्त गोले काले करके बढ़ाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन का कटऑफ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रथम उत्तरशीट क्रमांक 583933	15	100	85	62	155	146
द्वितीय उत्तरशीट क्रमांक 1402033	16	83	67	66		
योग	31	183	152	128		
	एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।		पीईबी द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।			

3. अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 31 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 31 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अथ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद पर अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन के अंतर्गत मेरिट क्रमांक 13 में हुआ है, जिसमें कट ऑफ अंक 146 है। उक्त परिवर्तन के कारण अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

10....

4. अवधेश भार्गव पिता श्री कृष्ण कुमार भार्गव 06/10/2016 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये तथा अभ्यर्थी के द्वारा लिखित पक्ष समिति के समक्ष रखा गया। समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया की चूंकि अभ्यर्थी को उनसे संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिये गये हैं अतः अभ्यर्थी के विरूद्ध स्पष्ट समुचित साक्ष्य कार्यवाही हेतु उपलब्ध है अतएव अभ्यर्थी के अनुरोध को अमान्य किया गया।

(9) अनुक्रमांक 703897 राज कुमार धाकड़ पिता श्री पृथ्वी सिंह धाकड़ – अन्य पिछड़ा वर्ग/बिना वर्ग

1. इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 15/13 दिनांक 22.11.2013 में आरोपियों की सूची में क्रमांक 23 पर उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 01.03.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा लक्ष्मीकांत शर्मा (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से पीईबी के अधिकारियों व कर्मचारियो से सेटिंग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। पीईबी में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को **100–100 प्रश्नों वाली दो उत्तरशीट क्रमांक 582446 एवं 1400430 तथा प्रश्नपुस्तिका क्रमांक 301022** परीक्षा के दौरान जारी की गई है।

2. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन होता (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण मे इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा पीईबी को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है –

अभ्यर्थी को प्रदाय की गई 100 प्रश्नों की ओएमआर उत्तरशीट का विवरण	.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार मूलतः अंकित उत्तरों में अतिरिक्त गोले काले करके बढ़ाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन का कटऑफ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रथम उत्तरशीट क्रमांक 582446	32	96	64	57	154	146
द्वितीय उत्तरशीट क्रमांक 1400430	31	98	67	66		
योग	63	194	131	123		
	एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।		पीईबी द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।			

3. अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 63 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 63 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अथ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद पर अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन के अंतर्गत मेरिट क्रमांक 17 में हुआ है, जिसमें कट ऑफ अंक 146 है। उक्त परिवर्तन के कारण अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

11....

4. राज कुमार धाकड़ पिता श्री पृथ्वी सिंह धाकड 06/10/2016 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये तथा अभ्यर्थी के द्वारा लिखित पक्ष समिति के समक्ष रखा गया। समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया की चूंकि अभ्यर्थी को उनसे संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिये गये हैं अतः अभ्यर्थी के विरूद्ध स्पष्ट समुचित साक्ष्य कार्यवाही हेतु उपलब्ध है होने के कारण अभ्यर्थी के अनुरोध को अमान्य किया गया।

(10) अनु. क्रमांक 704605 अभिषेक सिंह ठाकुर पिता श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर – अनारक्षित/बिना वर्ग

1. इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 15/13 दिनांक 22.11.2013 में आरोपियों की सूची में क्रमांक 28 पर उल्लेखित है तथा इसकी मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किये जाने का दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि स्वयं (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से पीईबी के अधिकारियों व कर्मचारियो से सेटिंग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। पीईबी में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर **अभ्यर्थी को 100–100 प्रश्नों वाली दो उत्तरशीट क्रमांक 583305 एवं 1401405 तथा प्रश्नपुस्तिका क्रमांक 101212** परीक्षा के दौरान जारी की गई है।

2. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन होता (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण मे इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा पीईबी को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है –

अभ्यर्थी को प्रदाय की गई 100 प्रश्नों की ओएमआर उत्तरशीट का विवरण	.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार मूलतः अंकित उत्तरों में अतिरिक्त गोले काले करके बढ़ाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन का कटऑफ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रथम उत्तरशीट क्रमांक 583305	11	100	89	64	159	146
द्वितीय उत्तरशीट क्रमांक 1401405	21	86	65	62		
योग	32	186	154	126		
	एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।		पीईबी द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।			

3. अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 32 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 32 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अथ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद पर अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन के अंतर्गत मेरिट क्रमांक 06 में हुआ है, जिसमें कट ऑफ अंक 146 है। उक्त परिवर्तन के कारण अभ्यर्थी चयनित हुआ।

(11) अनु. क्रमांक 703088 विश्वनाथ सिंह पिता श्री चन्द्र सिंह राजपूत – अनारक्षित/बिना वर्ग

1. इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 15/13 दिनांक 22.11.2013 में आरोपियों की सूची में क्रमांक 29 पर उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 15.03.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा संजीव सक्सैना (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से पीईबी के अधिकारियों व कर्मचारियो से सेटिंग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। पीईबी में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर **अभ्यर्थी को 100–100 प्रश्नों वाली दो उत्तरशीट क्रमांक 581488 एवं 1399587 तथा प्रश्नपुस्तिका क्रमांक 200808** परीक्षा के दौरान जारी की गई है।

2. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण मे इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा पीईबी को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है –

अभ्यर्थी को प्रदाय की गई 100 प्रश्नों की ओएमआर उत्तरशीट का विवरण	.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार मूलतः अंकित उत्तरों में अतिरिक्त गोले काले करके बढ़ाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन का कटऑफ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रथम उत्तरशीट क्रमांक 581488	12	100	88	71	153	146
द्वितीय उत्तरशीट क्रमांक 1399587	15	86	71	70		
योग	27	186	159	141		
	एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।		पीईबी द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।			

3. अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 27 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 27 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अथ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद पर अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन के अंतर्गत मेरिट क्रमांक 19 में हुआ है, जिसमें कट ऑफ अंक 146 है। उक्त परिवर्तन के कारण अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

4. **विश्वनाथ सिंह पिता श्री चन्द्र सिंह राजपूत** दिनांक 06/10/2016 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये तथा उनके द्वारा जवाब देने हेतु अतिरिक्त समय की मांग की गई जिसके प्रकाश में समिति द्वारा पत्र क्रमांक 6319/16 दिनांक 06/10/2016 द्वारा उन्हें 13/10/2016 को पीईबी कार्यालय में समिति के समक्ष अपना पक्ष लिखित एवं मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का समय प्रदान किया गया। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 13/10/2016 को पुनः समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया तथा अभ्यर्थी के द्वारा हार्ड डिस्क से रिट्रीव डेटा, स्कैन्ड ओएमआर शीट पहले, दूसरे स्कैनर से, 255 सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के .DAT, .DBF के संबंध में जानकारी चाही गई उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया की चूंकि अभ्यर्थी को उससे संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा उनके द्वारा चाहे गये

13....

दस्तावेज/हार्डडिस्क उससे संबंधित नहीं है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए सुनवाई का अवसर कराते हुए निर्णय/निर्देश दिये गये थे। अतः अभ्यर्थी के विरूद्ध स्पष्ट समुचित साक्ष्य कार्यवाही हेतु उपलब्ध है अतएव अभ्यर्थी के अनुरोध को अमान्य किया गया।

(12) अनु. क्रमांक 709412 आशुतोष गुमास्ता (मेहता) पिता श्री नरेन्द्र सिंह गुमास्ता – अन्य पिछड़ा वर्ग/बिना वर्ग

1. इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 15/13 दिनांक 22.11.2013 में आरोपियों की सूची में क्रमांक 13 पर उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 19.03.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा तरंग शर्मा (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से पीईबी के अधिकारियों व कर्मचारियो से सेटिंग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। पीईबी में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को **100–100 प्रश्नों वाली दो उत्तरशीट क्रमांक 588612 एवं 1406712 तथा प्रश्नपुस्तिका क्रमांक 402448** परीक्षा के दौरान जारी की गई है।

2. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण मे इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा पीईबी को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है –

अभ्यर्थी को प्रदाय की गई 100 प्रश्नों की ओएमआर उत्तरशीट का विवरण	.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार मूलतः अंकित उत्तरों में अतिरिक्त गोले काले करके बढ़ाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन का कटऑफ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रथम उत्तरशीट क्रमांक 588612	27	93	66	44	165	146
द्वितीय उत्तरशीट क्रमांक 1406712	26	92	66	65		
योग	53	185	132	109		
	एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।		पीईबी द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।			

3. अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 53 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 53 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अथ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद पर अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन के अंतर्गत मेरिट क्रमांक 01 में हुआ है, जिसमें कट ऑफ अंक 146 है। उक्त परिवर्तन के कारण अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

4. आशुतोष गुमास्ता (मेहता) पिता श्री नरेन्द्र सिंह गुमास्ता दिनांक 06/10/2016 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये तथा अभ्यर्थी के द्वारा लिखित पक्ष समिति के समक्ष रखा गया। अभ्यर्थी के द्वारा हार्ड डिस्क से हुये रिट्रीव डेटा, स्कैन्ड ओएमआर शीट पहले, दूसरे स्कैनर से, 255 सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के .DAT, .DBF, के संबंध में

14....

जानकारी चाही गई । उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया की चूंकि अभ्यर्थी को उनसे संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा उनके द्वारा चाहे गये दस्तावेज/हार्डडिस्क उनसे संबंधित नहीं है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए सुनवाई का अवसर दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। अतः अभ्यर्थी के विरूद्ध स्पष्ट समुचित साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्थी के अनुरोध को अमान्य किया गया।

(13) अनु. क्रमांक 702542 रावेन्द्र सिंह पिता श्री कमलेश्वर सिंह – अनारक्षित/बिना वर्ग

1. इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 15/13 दिनांक 22.11.2013 में आरोपियों की सूची में क्रमांक 15 पर उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 23.02.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा तरंग शर्मा (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से पीईबी के अधिकारियों व कर्मचारियो से सेटिंग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। पीईबी में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को **100–100 प्रश्नों वाली दो उत्तरशीट क्रमांक 580942 एवं 1398942 तथा प्रश्नपुस्तिका क्रमांक 200666** परीक्षा के दौरान जारी की गई है।

2. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण मे इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा पीईबी को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है –

अभ्यर्थी को प्रदाय की गई 100 प्रश्नों की ओएमआर उत्तरशीट का विवरण	.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार मूलतः अंकित उत्तरों में अतिरिक्त गोले काले करके बढ़ाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन का कटऑफ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रथम उत्तरशीट क्रमांक 580942	35	90	55	53	159	146
द्वितीय उत्तरशीट क्रमांक 1398942	25	78	53	52		
योग	60	168	108	105		
	एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।		पीईबी द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।			

3. अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 60 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 60 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अथ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद पर अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन के अंतर्गत मेरिट क्रमांक 07 में हुआ है, जिसमें कट ऑफ अंक 146 है। उक्त परिवर्तन के कारण अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

4. रावेन्द्र सिंह पिता श्री कमलेश्वर सिंह दिनांक 06/10/2016 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये तथा

15.....

अभ्यर्थी के द्वारा लिखित पक्ष समिति के समक्ष रखा गया। अभ्यर्थी के द्वारा हार्ड डिस्क से हुये रिट्रीव डेटा, स्कैन्ड ओएमआर शीट पहले, दूसरे स्कैनर से, 255 सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के .DAT, .DBF के संबंध में जानकारी चाही गई । उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया की चूंकि अभ्यर्थी को उनसे संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा उनके द्वारा चाहे गये दस्तावेज/हार्डडिस्क उनसे संबंधित नहीं है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए सुनवाई का अवसर दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। अतः अभ्यर्थी के विरूद्ध स्पष्ट समुचित साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्थी के अनुरोध को अमान्य किया गया।

(14) अनु. क्रमांक 712092 अमित सिंह पिता श्री प्रभुनाथ सिंह – अनारक्षित/बिना वर्ग

1. इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 15/13 दिनांक 22.11.2013 में आरोपियों की सूची में क्रमांक 19 पर उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 22.02.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा तरंग शर्मा (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से पीईबी के अधिकारियों व कर्मचारियो से सेटिंग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। पीईबी में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को **100–100 प्रश्नों वाली दो उत्तरशीट क्रमांक 591392 एवं 1409492 तथा प्रश्नपुस्तिका क्रमांक 203123** परीक्षा के दौरान जारी की गई है।

2. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन होता (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण मे इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा पीईबी को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है –

अभ्यर्थी को प्रदाय की गई 100 प्रश्नों की ओएमआर उत्तरशीट का विवरण	.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार मूलतः अंकित उत्तरों में अतिरिक्त गोले काले करके बढ़ाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी में अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन का कटऑफ	निरीक्षक नापतौल में अनारक्षित / बिना वर्ग/ ओपन का कटऑफ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
प्रथम उत्तरशीट क्रमांक 591392	20	100	80	56	162	146	159
द्वितीय उत्तरशीट क्रमांक 1409492	20	85	65	62			
योग	40	185	145	118			
	एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।		पीईबी द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।				

3. अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 40 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 40 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अथ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद पर अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन के अंतर्गत मेरिट क्रमांक 03 में हुआ है, जिसमें कट ऑफ अंक 146 है तथा अभ्यर्थी का चयन निरीक्षक नापतौल के पद पर अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन के अंतर्गत मेरिट क्रमांक 03 में हुआ है, जिसमें कट ऑफ अंक 159 है उक्त परिवर्तन के कारण अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

16....

4. अमित सिंह पिता श्री प्रभुनाथ सिंह दिनांक 06/10/2016 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये तथा अभ्यर्थी के द्वारा लिखित पक्ष समिति के समक्ष रखा गया। अभ्यर्थी के द्वारा हार्ड डिस्क से हुये रिट्रीव डेटा, स्कैन्ड ओएमआर शीट पहले, दूसरे स्कैनर से, 255 सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के .DAT, .DBF के संबंध में जानकारी चाही गई उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया की चूंकि अभ्यर्थी को उनसे संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा उनके द्वारा चाहे गये दस्तावेज/हार्डडिस्क उनसे संबंधित नहीं है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए सुनवाई का अवसर दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। अतः अभ्यर्थी के विरूद्ध स्पष्ट समुचित साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्थी के अनुरोध को अमान्य किया गया।

(15) अनु. क्रमांक 711966 संदीप त्रिपाठी पिता श्री द्वारका प्रसाद त्रिपाठी – अनारक्षित/बिना वर्ग

1. इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 15/13 दिनांक 22.11.2013 में आरोपियों की सूची में क्रमांक 17 पर उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 22.02.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा तरंग शर्मा (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से पीईबी के अधिकारियों व कर्मचारियो से सेटिंग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। पीईबी में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को **100–100 प्रश्नों वाली दो उत्तरशीट क्रमांक 591266 एवं 1409366 तथा प्रश्नपुस्तिका क्रमांक 403092** परीक्षा के दौरान जारी की गई है।

2. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन होता (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण मे इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा पीईबी को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है –

अभ्यर्थी को प्रदाय की गई 100 प्रश्नों की ओएमआर उत्तरशीट का विवरण	.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार मूलतः अंकित उत्तरों में अतिरिक्त गोले काले करके बढ़ाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी में अनारक्षित /बिना वर्ग/ओपन का कटऑफ	निरीक्षक नापतौल में अनारक्षित / बिना वर्ग/ ओपन का कटऑफ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
प्रथम उत्तरशीट क्रमांक 591266	30	100	70	39	160	146	159
द्वितीय उत्तरशीट क्रमांक 1409366	29	93	64	62			
योग	59	193	134	101			
	एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।		पीईबी द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।				

3. अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 59 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 59 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अथ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद पर अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन के अंतर्गत मेरिट क्रमांक 05 में हुआ है, जिसमें कट ऑफ अंक 146 है तथा अभ्यर्थी का चयन निरीक्षक नापतौल के पद पर अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन के अंतर्गत मेरिट क्रमांक 05 में हुआ है, जिसमें कट ऑफ अंक 159 है उक्त परिवर्तन के कारण अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

17....

4. संदीप त्रिपाठी पिता श्री द्वारका प्रसाद त्रिपाठी दिनांक 06/10/2016 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये तथा अभ्यर्थी के द्वारा लिखित पक्ष समिति के समक्ष रखा गया। अभ्यर्थी के द्वारा हार्ड डिस्क से हुये रिट्रीव डेटा, स्कैन्ड ओएमआर शीट पहले, दूसरे स्कैनर से, 255 सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के .DAT, .DBF के संबंध में जानकारी चाही गई । उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया की चूंकि अभ्यर्थी को उनसे संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा उनके द्वारा चाहे गये दस्तावेज/हार्डडिस्क उनसे संबंधित नहीं है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए सुनवाई का अवसर दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। अतः अभ्यर्थी के विरूद्ध स्पष्ट समुचित साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्थी के अनुरोध को अमान्य किया गया।

(16) अनु. क्रमांक 700347 कृष्ण कुमार मान्यासे पिता स्व. श्री दशरथ लाल मान्यासे – अन्य पिछड़ा वर्ग/बिना वर्ग

1. इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 15/13 दिनांक 22.11.2013 में आरोपियों की सूची में क्रमांक 16 पर उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 25.03.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा तरंग शर्मा (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से पीईबी के अधिकारियों व कर्मचारियो से सेटिंग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। पीईबी में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को **100–100 प्रश्नों वाली दो उत्तरशीट क्रमांक 578464 एवं 1396401 तथा प्रश्नपुस्तिका क्रमांक 300092** परीक्षा के दौरान जारी की गई है।

2. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण मे इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा पीईबी को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है –

अभ्यर्थी को प्रदाय की गई 100 प्रश्नों की ओएमआर उत्तरशीट का विवरण	.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार मूलतः अंकित उत्तरों में अतिरिक्त गोले काले करके बढ़ाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी में अनारक्षित /बिना वर्ग/ओपन का कटऑफ	निरीक्षक नापतौल में अन्य पिछड़ा वर्ग/ बिना वर्ग/ ओपन का कटऑफ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
प्रथम उत्तरशीट क्रमांक 578464	24	86	62	59	154	146	154
द्वितीय उत्तरशीट क्रमांक 1396401	16	85	69	62			
योग	40	171	131	121			
	एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।		पीईबी द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।				

3. अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 40 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 40 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अथ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद पर अन्य पिछड़ा वर्ग /बिना वर्ग/ओपन के अंतर्गत मेरिट क्रमांक 15 में हुआ है, जिसमें कट ऑफ अंक 146 है तथा अभ्यर्थी का चयन निरीक्षक नापतौल के पद पर अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन के अंतर्गत मेरिट क्रमांक 01 में हुआ है, जिसमें कट ऑफ अंक 154 है उक्त परिवर्तन के कारण अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

18....

4. कृष्ण कुमार मान्यासे पिता स्व. श्री दशरथ लाल मान्यासे दिनांक 06/10/2016 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये तथा अभ्यर्थी के द्वारा लिखित पक्ष समिति के समक्ष रखा गया। अभ्यर्थी के द्वारा हार्ड डिस्क से हुये रिट्रीव डेटा, स्कैन्ड ओएमआर शीट पहले, दूसरे स्कैनर से, 255 सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के .DAT, .DBF के संबंध में जानकारी चाही गई उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया की चूंकि अभ्यर्थी को उनसे संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा उनके द्वारा चाहे गये दस्तावेज/हार्डडिस्क उनसे संबंधित नहीं है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए सुनवाई का अवसर दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। अतः अभ्यर्थी के विरूद्ध स्पष्ट समुचित साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्थी के अनुरोध को अमान्य किया गया।

(17) अनु. क्रमांक 703057 दिवाकांत रघुवंशी पिता स्व. श्री माघव सिंह रघुवंशी – अनारक्षित/बिना वर्ग

1. इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 15/13 दिनांक 22.11.2013 में आरोपियों की सूची में क्रमांक 18 पर उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 26.04.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा तरंग शर्मा (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से पीईबी के अधिकारियों व कर्मचारियो से सेटिंग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। पीईबी में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को **100–100 प्रश्नों वाली दो उत्तरशीट क्रमांक 581443 एवं 1399547 तथा प्रश्नपुस्तिका क्रमांक 100795** परीक्षा के दौरान जारी की गई है।

2. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन होता (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण मे इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा पीईबी को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है –

अभ्यर्थी को प्रदाय की गई 100 प्रश्नों की ओएमआर उत्तरशीट का विवरण	.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार मूलतः अंकित उत्तरों में अतिरिक्त गोले काले करके बढ़ाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी में अनारक्षित /बिना वर्ग/ओपन का कटऑफ	निरीक्षक नापतौल में अनारक्षित / बिना वर्ग/ ओपन का कटऑफ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
प्रथम उत्तरशीट क्रमांक 581443	19	91	72	71	163	146	159
द्वितीय उत्तरशीट क्रमांक 1399547	21	98	77	74			
योग	40	189	149	145			
	एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।		पीईबी द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।				

3. अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 40 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 40 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अथ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद पर अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन के अंतर्गत मेरिट क्रमांक 02 में हुआ है, जिसमें कट ऑफ अंक 146 है तथा अभ्यर्थी का चयन निरीक्षक नापतौल के पद पर अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन के अंतर्गत मेरिट क्रमांक 02 में हुआ है, जिसमें कट ऑफ अंक 159 है उक्त परिवर्तन के कारण अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

19....

4. दिवाकांत रघुवंशी पिता स्व. श्री माधव सिंह रघुवंशी दिनांक 06/10/2016 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये तथा अभ्यर्थी के द्वारा लिखित पक्ष समिति के समक्ष रखा गया। अभ्यर्थी के द्वारा हार्ड डिस्क से हुये रिट्रीव डेटा, स्कैन्ड ओएमआर शीट पहले, दूसरे स्कैनर से, 255 सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के .DAT, .DBF के संबंध में जानकारी चाही गई उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया की चूंकि अभ्यर्थी को उनसे संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा उनके द्वारा चाहे गये दस्तावेज/हार्डडिस्क उनसे संबंधित नहीं है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए सुनवाई का अवसर दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। अतः अभ्यर्थी के विरूद्ध स्पष्ट समुचित साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्थी के अनुरोध को अमान्य किया गया।

(18) अनु. क्रमांक 702208 अभिजीत मेहता पिता श्री राजेश मेहता – अनारक्षित/बिना वर्ग

1. इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 15/13 दिनांक 22.11.2013 में आरोपियों की सूची में क्रमांक 12 पर उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 30.08.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा स्वयं (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से पीईबी के अधिकारियों व कर्मचारियो से सेटिंग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। पीईबी में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को **100–100 प्रश्नों वाली दो उत्तरशीट क्रमांक 580167 एवं 1398541 तथा प्रश्नपुस्तिका क्रमांक 200575** परीक्षा के दौरान जारी की गई है।

2. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन होता (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण मे इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा पीईबी को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है –

अभ्यर्थी को प्रदाय की गई 100 प्रश्नों की ओएमआर उत्तरशीट का विवरण	.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार मूलतः अंकित उत्तरों में अतिरिक्त गोले काले करके बढ़ाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन का कटऑफ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रथम उत्तरशीट क्रमांक 580167	15	87	72	68	150	146
द्वितीय उत्तरशीट क्रमांक 1398541	05	74	69	69		
योग	20	161	141	137		
	एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।		पीईबी द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है।			

3. अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 20 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 20 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अथ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद पर अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन के अंतर्गत मेरिट क्रमांक 39 में हुआ है, जिसमें कट ऑफ अंक 146 है। उक्त परिवर्तन के कारण अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

4. अभिजीत मेहता पिता श्री राजेश मेहता दिनांक 06/10/2016 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये तथा अभ्यर्थी के द्वारा लिखित पक्ष समिति के समक्ष रखा गया। समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया की चूंकि अभ्यर्थी को उनसे संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिये गये हैं अतः अभ्यर्थी के विरूद्ध स्पष्ट समुचित साक्ष्य कार्यवाही हेतु उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्थी के कार्यवाही न किये जाने संबंधी अनुरोध को अमान्य किया गया।

उल्लेखित समस्त 18 प्रकरणों की पीईबी स्तर से जांच की गई। संपादित जांच में निम्नानुसार तथ्य परिलक्षित हुये :–

i. अभ्यर्थियों की दोनों ओएमआर उत्तरशीटों का परीक्षण करने पर उत्तरशीट में पीईबी के दोनों स्कैन नम्बर मुद्रित पाये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनर द्वारा मूल रूप से स्कैन किया गया है और उनकी .DAT फाईल तैयार हुई।

ii. समस्त प्रकरणों में ओएमआर उत्तरशीट में छेड़छाड़ कर परिवर्तन किया गया है।

iii. समस्त प्रकरणों के परीक्षण में पाया गया कि अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में वास्तविक रूप से प्राप्तांकों में वृद्धि कर गलत तरीके से सफल करवाया गया है।

iv. अभ्यर्थियों की ओएमआर उत्तरशीट में छेड़छाड़ स्कैन होने के पश्चात् की गई है। जिसका प्रमाणिक तथ्य दो प्रकार के उत्तरित आंकड़ों की दो फाइलें कम्प्यूटर से प्राप्त होना है।

v. मूल स्कैन डेटा फाईल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेजी प्रमाण है। अभिलेखी प्रमाण के रूप में इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना दस्तावेजों में हेराफेरी की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

vi. परीक्षण से यह भी सिद्ध होता है कि अभ्यर्थी ने चयन के लिये अनुचित साधन का प्रयोग कर अनुचित लाभ प्राप्त किया है।

vii. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में ओएमआर उत्तरशीट की स्कैनिंग एवं परीक्षा परिणाम का कार्य नितिन मोहिन्द्रा, तत्कालीन सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, अजय कुमार सेन, तत्कालीन सिस्टम एनालिस्ट एवं सी.के. मिश्रा, तत्कालीन सहायक प्रोग्रामर द्वारा डॉ. पंकज त्रिवेदी, तत्कालीन नियंत्रक के निर्देशन में संपादित किया गया था।

viii एसटीएफ द्वारा इस आपराधिक प्रकरण में इन सभी को तथा इनके मध्यस्थों को भी अभियुक्त बनाया गया है, क्योंकि उपरोक्त परिवर्तन इनके द्वारा/इनके माध्यम से किया गया है।

ix. अभ्यार्थियों द्वारा समस्त दस्तावेजों सहित दिये गये कारण बताओं नोटिस का प्रस्तुत प्रतिउत्तर तथ्यात्मक एवं संतोषजनक नहीं होने के कारण अमान्य करने योग्य पाया गया।

उपरोक्तानुसार तथ्यों से स्पष्ट है कि अभ्यर्थियों का यह कार्य परीक्षा प्रणाली की पवित्रता, शुचिता एवं स्वच्छता के प्रतिकूल है एवं इस अपराधिक कृत्य के माध्यम से वे व्यक्ति जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो रहे थे, को उत्तीर्ण किया जाकर उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र बनाया गया। इस कारण से इन 18 अभ्यर्थियों का पीईबी द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम दूषित है। अतः नियमपुस्तिका के नियम क्रमांक–2 11 के तहत् इन प्रकरणों को यूएफएम (अनुसूचित साधन) मान्य करते हुये उनके परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

(अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)

नियंत्रक
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड,
भोपाल

O/C

21....

215

पृ. क्रमांक/व्यापम/प–1/5/35/7449 /2016 भोपाल, दिनांक 30/11/2016

प्रतिलिपि –

1. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, म.प्र. शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, स्पेशल टॉस्क फोर्स, म.प्र. सातवीं वाहिनी के बाजू में जहांगीराबाद, भोपाल की सूचनार्थ।
6. डिप्टी रजिस्टार, मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर/खंडपीठ ग्वालियर/खंडपीठ इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
7. संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. नियंत्रक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. संयुक्त नियंत्रक (विधि), प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

नियंत्रक
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड,
भोपाल

O/C